UPKU010041872026

न्यायालय– सत्र न्यायाधीश, कुशीनगर स्थान पडरौना।

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या – 1211/2026

सुनीता देवी बउम्र 45 वर्ष पत्नी सुभाष हरिजन, साकिन–बोदरवार, थाना– कप्तानगंज, जिला–कुशीनगर।

––– प्रार्थिनी/अभियुक्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार ––विपक्षी।

मु०अ०सं०– 70/2026
धारा– 103(1),3(5) बी०एन०एस०
थाना– कप्तानगंज,
जिला–कुशीनगर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

1– यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थिनी/अभियुक्ता सुनीता देवी की ओर से उक्त मामले में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा रीता देवी के पति बाजार के तरफ से अपने घर जा रहे थे कि रास्ते में सुभाष, उसकी पत्नी, बड़ा बेटा, बहु व पुत्री सब रास्ते में घर जाते समय रोककर मिलकर लाठी व डण्डे तथा ईट से मारकर निर्मम हत्या कर दिये जिसे CHC कप्तानगंज के डाक्टरो ने मृत घोषित कर दिया गया।

3–अभियुक्ता की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में किये गये कथनों के समरूप तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता निर्दोष है। उसने उक्त दफे का कोई अपराध कारित नहीं किया है। उसे फर्जी व मनगढ़न्त कथानक के आधार पर मुकदमा में फंसा दिया गया है। उक्त घटना में सभी पुलिस के गवाह हैं। उक्त घटना में किसी स्वतंत्र साक्षी का नहीं होना अभियोजन की कहानी को बनावटी बनाता है। वादिनी मुकदमा द्वारा अपने तहरीर में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा किस हथियार से गोविन्द पर हमला किया गया तथा मृतक गोविन्द की मृत्यु किस चोट से हुआ। वास्तविकता यह है कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता के घर भसुर की लड़की की शादी दिनांक– 13.3.2026 को था तथा प्रार्थिनी/अभियुक्ता व प्रार्थिनी के परिवार के सभी लोग तैयार होकर शादी में सिरकत करने हेतु मैरेज हाल जा रहे थे कि तभी गोविन्द (मृतक) और उसका भाई महेश शराब के नशे में एक दूसरे से गाली गलौज तथा मार पीट कर रहे थे तभी प्रार्थिनी के पति द्वारा उनको समझा बुझाकर उन्हें घर जाने के

लिए कहते हुए प्रार्थिनी/अभियुक्ता के पूरे परिवार को साथ लेकर मैरेज हाल में चले गये कि कुछ समय बाद मालुम पड़ा कि गोविन्द (मृतक) और उसका भाई मोहन के बीच हो रहे मार पीट के दौरान गोविन्द की मृत्यु हो गयी। प्रार्थिनी घटना के समय मैरेज हाल में अपने भसुर की लडकी की शादी समारोह में सम्मलित थी। वादिनी मुकदमा द्वारा अपने तहरीर में घटना का समय अंकित नहीं किया गया है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता दिनांक 01.04.2026 से जिला कारागार देवरिया में निरूद्ध है।तदनुसार जमानत मुचलके पर रिहा किये जाने की याचना की गई।

4– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के द्वारा बहस में कहा गया है कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता सुनीता देवी द्वारा सह अभियुक्तागण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा रीता देवी के पति गोविन्द निषाद जो बाजार से घर की ओर जा रहा था को रोककर लाठी, डण्डा व ईट से मारकर हत्या कर दिया गया। अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध गम्भीर एवं जघन्य है। तदनुसार जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की याचना की गई।

5– मैंने अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

6– पत्रावली के परिशीलन से ज्ञात होता है कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट में सुभाष की पत्नी के रूप में नामजद है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता सुनीता देवी पर सह अभियुक्तागण के साथ मिलकर वादिनी मुकदमा रीता देवी के पति गोविन्द निषाद जो बाजार से घर की ओर जा रहा था को रोककर लाठी, डण्डा व ईट से मारकर हत्या करने का आरोप है।

मृतक गोविन्द निषाद के पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उसे निम्न चोटें आना अंकित हैः–

1– Lacerated wound 1 cm x 0.5 cm x muscle deep over right thumb.

2– Abrasion 2 cm x 1 cm over right ring finger.

3– Abrasion 1 cm x 0.5 cm over right little finger.

4– Contused swelling 8 cm x 6 cm over occipital region, 8 cm above C7 vertebra.

मृतक के मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व चोटों के परिणामस्वरूप हेमरेज एवं शॉक को बताया गया है।

दौरान विवेचना दिनांक 14.03.2026 को पुलिस द्वारा सह अभियुक्त सुभाष चन्द को गिरफ्तार किया गया जिसकी जामा तलाशी लेने पर दाहिने हाथ से करीब एक हाथ का चौकोर लकड़ी का डण्डा (आलाकत्ल) बरामद किया गया। वादिनी रीता देवी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 बी०एन०एस०एस० में बताया कि दिनांक 13.03.2026 को समय करीब 07.30 बजे रात को उसका पति व देवर महेश बाजार के तरफ से घर पर आ रहे थे कि जैसे ही सुभाष के दरवाजे से गुजर रहे थे कि तभी सुभाष तथा उसकी लड़की खड़ी थी। रास्ते पर खूंटा गाड़कर अपनी बकरी को

बाँधे हुआ था। जिसमें उनकी गाड़ी छू गयी। इसी बात लेकर सुभाष तथा उसका बडा लडका गोलू तथा गोलू की पत्नी नेहा देवी व सुभाष की पत्नी सुनीता देवी, सुभाष का बड़ा लड़का जन्त्री तथा सुभाष की बेटी प्रियंका ने एक राय होकर अपने घर के सामने उसके पति व देवर को जान से मारने की नीयत से मारपीट कर घेरकर लाठी डण्डा व ईट से मार पीट कर निर्मम हत्या कर दिये। जिनको सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कप्तानगंज ले गये तो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के डॉक्टरो ने उसके पति को मृत घोषित कर दिया। वादिनी के बयान का समर्थन स्वतंत्र साक्षीगण अंशु देवी व सरिता देवी ने भी अपने बयान अन्तर्गत धारा–180 बी०एन०एस०एस० में किया है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध गम्भीर एवं जघन्य प्रकृति का है।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण दोष पर कोई टिप्पणी किए बगैर न्यायालय की राय में अभियुक्ता को जमानत पर मुक्त किए जाने का आधार पर्याप्त नहीं है। तदनुसार अभियुक्ता का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी/अभियुक्ता सुनीता देवी की ओर से प्रस्तुत किया गया जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांकः 23.06.2026

(राम अवतार यादव)
प्रभारी सत्र न्यायाधीश,
कुशीनगर, स्थान–पडरौना।

Digitally signed by RAM AUTAR YADAV
Date: 2026.06.23 16:58:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court